भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5452

05 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सहकारी समितियों के लिए नवीन योजनाएं

5452. श्री दुर्गा दास उइके:

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वर्तमान में समुचित रूप से कार्यरत पंजीकृत और अपंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान में सहकारी समितियों के लिए कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों के लिए कोई विशेष योजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी प्रोफाईल- 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या 47415 है। अपंजीकृत सहकारी समितियों के लिए कोई भी डेटाबेस नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के भीतर कार्य कर रही समितियाँ उनके संबंधित राज्य अधिनियमों, नियमों और उनके उप-नियमों द्वारा शासित होते हैं। उनकी उचित कार्यप्रणालियों के संबंध में ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख): जी हां, सहकारिता मंत्रालय पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण, सहकार से समृद्धि पर छत्रक योजना और सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर योजना बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

(ग) इस स्तर पर ऐसी कोई विशेष योजना प्रस्तावित नहीं है।

*****